प्रेस नोट दिनांक 04.10.2024

थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली

थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान 19 किलोग्राम अवैध गांजा बरामदगी के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा 19 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मुगलसराय पर मु0अ0सं0 413/2024 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 03.10.2024 को उ0नि0 पंकज कुमार सिंह चौकी प्रभारी औद्योगिक नगर मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति व रोकथाम जुर्म जरायम मे ग्राम मिल्कीपुर / ताहिरपुर बार्डर पर मौजुद थे कि जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि 02 व्यक्ति लाल नीले काले रंग के बैग में अवैध नाजायज गांजा लेकर वाराणसी की ओर जा रहे है। मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मिल्कीपुर से रवाना होकर टेंगरा मोड़ पुल से करीब 400 मीटर पहले 02 व्यक्ति पैदल बनारस की की ओर जाते हुये दिखाई दिये। जो पुलिस टीम को देखकर दोनो व्यक्ति भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति नीरज कुमार के कब्जे से 13 कि0ग्रा0 गांजा व रोहित माली के कब्जे से 06 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा बरामद हुआ । उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मुगलसराय पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुछताछ विवरण-गिरफ्तार अभियुक्त से पुछताछ के दौरान उनकी पहचान 1. नीरज कुमार पुत्र स्व० आनन्दी नि० ग्राम गेरुआपुरसंडा थाना हलसी जनपद लक्खीसराय बिहार उम्र 19 वर्ष तथा 2. नाम रोहित माली पुत्र कमला माली निवासी ग्राम भैसा थाना चंदवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष कि रुप में हुई। पुलिस टीम द्वारा भागने का कारण पुछने पर बताया कि हम लोग नाजायज गांजा लेकर वाराणसी जा रहे थे। आगे जाकर आटो से वाराणसी जाते मगर आप लोगो के देखकर डरकर भाग रहे थे। पकड़े गये दोनो व्यक्तियो से बरामद गांजा के सम्बन्ध मे कड़ाई से पुछने पर बता रहे है कि हम लोग गांजे को बनारस मे भांग की दुकानो पर बेच देते है व मिलने वाले रुपयो को आपस मे बराबर 2 बांट लेते है ।

नाम पता अभियुक्तगण-

1.नीरज कुमार पुत्र स्व0 आनन्दी नि0 ग्राम गेरुआपुरसंडा थाना हलसी जनपद लक्खीसराय बिहार उम्र 19 वर्ष ।

2.रोहित माली पुत्र कमला माली ग्रा0 भैसा थाना चंदवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष ।

अपराधिक विवरण-

1.मु0अ0सं0413/2024 धारा 8/20 NDPS Act थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी-

दोनो व्यक्तियो के पास से वजन 19 किग्रा गाँजा

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 विजय बहादुर सिंह कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।

2.उ0नि0 पंकज कुमार सिंह चौकी प्रभारी औद्योगिक नगर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

3.हे0का0 अभिषेक सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 अरविन्द यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

5.का0 राकेश यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

6.का0 विशाल वर्मा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक 04.10.2024

थाना चकिया, जनपद चन्दौली

थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान 10 किलो 473 ग्राम अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में चकिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान जलेबिया मोड़ भगवान हनुमान जी के स्थान के पास से 10 किलो 473 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार/बरामद किया गया । गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चकिया पर मु.अ.सं. 175/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रहा है ।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 03.10.2024 को थानाध्यक्ष अतुल कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिग व वांछित अभियुक्तो की तलाश व जुर्म जरायम की रोकथाम हेतु जलेबिया मोड़ पर चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन कर रहे थे कि बिहार से नौगढ़ के रास्ते जलेबिया मोड़ की तरफ से एक मोटरसाइकिल बजाज प्लैटिना नं0 UP19S4541 जिस पर 02 व्यक्ति बैठे थे आते हुए दिखाई दिये जिन्हे टार्च की रोशनी मे रुकने का इशारा करते हुए रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी की गति तेज कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल व उस पर नीले रंग का एक बैग लेकर बैठे व्यक्तियो को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियो की पहचान 1. सतबीर डबास पुत्र राजकरन निवासी अहमदगढ़ थाना झिनझाना जिला शामली हाल पता रूपापुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र 33 वर्ष तथा बैग पकड़कर पीछे बैठे व्यक्ति 2. खुर्शीद अंसारी पुत्र कुद्दुस अंसारी निवासी छेतरी थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी उम्र 22 वर्ष के रुप में हुई। दोनो व्यक्तियो के कब्जे से बरामदशुदा 04 बन्डल गांजा जिसको प्लास्टिक के टेप से लपेटा गया है जिसका कुल बन्डलो का एक साथ वजन 10 किलो 473 ग्राम पाया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चकिया पर मु.अ.सं. 175/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रहा है ।

पूछताछ विवरण-अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बता रहे है कि हम लोग बराबर बराबर पैसा लागकर भालू बुढ़न बिहार से सस्ते दामो पर गांजे को खरीदते है जिससे खरीदते है उसका नाम पता नही मालूम है तथा बनारस घाटो पर पुड़िया बनाकर चोरी छुप्पे लोगो को बेचते है जो भी मुनाफा होता है उसे बराबर बराबर बांट लेते है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. सतबीर डबास पुत्र राजकरन निवासी अहमदगढ़ थाना झिनझाना जिला शामली हाल पता रूपापुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी

2. खुर्शीद अंसारी पुत्र कुद्दुस अंसारी निवासी छेतरी थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी ।

अपराधिक विवरण-

1. **अभियुक्त सतबीर डबास ....**

- मु.अ.सं. 175/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- मु0अ0सं0 145/23 धारा 392/411 भादवि थाना चितईपुर जनपद वाराणसी।
- मु0अ0सं0 309/23 धारा 392/411 भादवि थाना रोहनिया जनपद वाराणसी।
- मु0अ0सं0 166/23 धारा 392/411 भादवि थाना कपसेठी जनपद वाराणसी।

2. अभियुक्त खुर्शीद अंसारी ....

- मु.अ.सं. 175/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

1.10 किलो 473 ग्राम अवैध गांजा

2.एक मोटरसाइकिल रजि.नं.UP19S4541 बजाज प्लैटिना

3.दो मोबाइल (01 अदद एंड्रायड विवो कम्पनी बरंग नीला व 01 अदद कीपैड सेट आईटेल कम्पनी)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता थाना चकिया जनपद चन्दौली।

3.हे0का0 दीपचन्द्र गिरि थाना चकिया जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 जलभरत यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।

5.हे0का0 सूरज कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

6.का0 राकेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक-04.10.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज (जूडि)/जेएम चकिया जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बबुरी के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 24.08.1999 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राम आसरे बियार पुत्र काशी निवासी ददवल थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 36/1999 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बबुरी में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन बिहारी यादव (पीओ) व थाना बबुरी के पैरोकार आरक्षी राम नरायण की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-04.10.2024 को पीठासीन श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज (जूडि)/जेएम चकिया जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.राम आसरे बियार पुत्र काशी निवासी ददवल थाना बबुरी जनपद चन्दौली को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-04.10.2024

थाना इलिया जनपद चंदौली

थाना इलिया पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर को 30 पाउच टेट्रा पैक विंडसर लाईम देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

चंदौली:-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा शराब/अवैध गोतस्करों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण में दयाराम गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना इलिया के कुशल नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम को उस समय सफलता मिली जब एक व्यक्ति द्वारा 30 पाउच टेट्रा पैक विंडसर लाईम देशी शराब मात्रा प्रत्येक 200 ML को अवैध तरीके से बिहार राज्य ले जाया जा रहा था कि रोहाखी गेट के पास से पकड़ा गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 101/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्त-1.अनिल बिंद पुत्र प्रेम बिंद निवासी ग्राम साबेबाये थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार

विवरण बरामदगी- 30 पाउच टेट्रा पैक विंडसर लाईम देशी शराब मात्रा प्रत्येक 200 ML

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक दयाराम गौतम थाना इलिया जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 रविन्द्र कुमार सिंह इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 चन्द्रहास सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली

3.का0 आलोक सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक-04.10.2024

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

थाना चकरघट्टा पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तगणों के विरुद्ध की गयी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अंकुश लगाये जाने के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) अनिल कुमार यादव के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के निर्देशन में थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद द्वारा दिनांक 04.10.2024 को अभि0गण 1.संतोष यादव पुत्र शिवदुलारे यादव उम्र 28 वर्ष 2. रामविलास यादव पुत्र रामवृक्ष यादव उम्र 46 वर्ष 3.राजनाथ यादव पुत्र रामवृक्ष यादव उम्र 53 वर्ष 4.मनोज यादव पुत्र रामवृक्ष यादव उम्र 28 वर्ष 5.लालता यादव पुत्र विन्देश्वरी यादव उम्र 50 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम बजरडीहा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली के बिरूद्व धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधि0 मे कार्यवाही की गयी, जिसको थाना स्थानीय के पेटीकेट संख्या क्रमशः 05/2024 से 09/2024 तक अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नि0अधि0 मे दाखिल किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण व आपराधिक इतिहास –

1.संतोष यादव पुत्र शिवदुलारे यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बजरडीहा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 40/23-धारा 32,504,325 भादवि थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 59/24- धारा-115(2),352,351(2),191(2)बीएनएस थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2.रामविलास यादव पुत्र रामवृक्ष यादव उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम बजरडीहा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 40/23-धारा 32,504,325 भादवि थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 61/23- धारा 323,504,506 427 भादवि थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0 59/24- धारा 115(2),352,351(2),191(2)बीएनएस थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

3.राजनाथ यादव पुत्र रामवृक्ष यादव उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम बजरडीहा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 61/23- धारा 323,504,506 427 भादवि थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 59/24- धारा 115(2),352,351(2),191(2)बीएनएस थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

4.मनोज यादव पुत्र रामवृक्ष यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बजरडीहा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 61/23- धारा 323,504,506 427 भादवि थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 59/24- धारा 115(2),352,351(2),191(2)बीएनएस थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

5.लालता यादव पुत्र विन्देश्वरी यादव उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बजरडीहा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 61/23- धारा 323,504,506 427 भादवि थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 59/24- धारा 115(2),352,351(2),191(2)बीएनएस थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 04.10.2024

जनपद चन्दौली

जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 56 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 04.10.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 56 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।